संख्या- 313 /2025/ 2844 /चार-2025-1739761

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2025**

विषय:- दिनांक 02-03 अगस्त, 2025 को आयोध्या में 'सावन झूला' कार्यक्रम पर हुये वास्तविक व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1835/सं0नि0-15(36)/2025-26-442624, दिनांक 18 सितम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संस्कृति विभाग, उ0प्र0, जिला प्रशासन, अयोध्या एवं अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या के संयुक्त तत्वावधान में अयोध्या में दिनांक 02-03 अगस्त, 2025 को आयोजित 02 दिवसीय 'सावन झूला' कार्यक्रम कार्यक्रम में कलाकारों के मानदेय एवं अन्य व्यवस्थाओं पर हुए निम्नानुसार वास्तविक व्यय विवरण से अवगत कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है:-

क्र0सं0	बिल संख्या एवं दिनांक	कलाकार एवं फर्म का नाम	धनराशि
1	02.08.2025	सुश्री उषा गुप्ता, मिर्जापुर	45,000.00
2	02.08.2025	सुश्री रमा प्रजापति, अयोध्या	30,000.00
3	02.08.2025	श्री प्रेमचन्द्र तिवारी, अयोध्या	45,000.00
4	02.08.2025	सुश्री रंजना अग्रहरि, बस्ती	55,000.00
5	02.08.2025	सुश्री रंजना राय, वाराणसी	50,000.00
6	03.08.2025	सुश्री रचना श्रीवास्तव, अयोध्या	30,000.00
7	03.08.2025	श्री छविलाल पाल, अम्बेडकर नगर	35,000.00
8	03.08.2025	श्री मुकेश कुमार, अयोध्या	30,000.00
9	03.08.2025	सुश्री सुचिता पाण्डेय, लखनऊ	45,000.00
10	03.08.2025	सुश्री सबीना सैफी, लखनऊ	40,000.00
11	03.08.2025	सुश्री रचना श्रीवास्तव, अयोध्या	30,000.00
12	03.08.2025	श्री देश दीपक सिंह, फैजाबाद	6,000.00
13	005, 25.08.2025	मे0 इव मीडिया एडवर्टाइजिंग प्रा0लि0 एण्ड ब्राडकॉस्ट साल्यूसन लखनऊ	12,095.00
14	005,006,007,008, 009,010,04.08.2025	मे0 गरम मसाला इवेण्ट एण्ड कैटर्स, लखनऊ	1,15,611.00
15	490,04.08.2025	मे0 फूडीज रेस्टोरेण्ट, लखनऊ	58,840.00
16	131,132,130, 20.08.2025	मे0 एम0आर0 ट्रेवेल्स, लखनऊ	33,267.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

17	004, 04.08.2025	मे0 गरम मसाला इवेण्ट एण्ड कैटर्स	85,071.00
18	011,013, 04.08.2025	मे0 गरम मसाला इवेण्ट एण्ड कैटर्स	61,220.00
19	011,013, 04.08.2025	मे0 प्रिंस डिजिटल प्रिंटर	20,060.00
20	077,02.08.2025, 075, 03.08.2025 489, 02.08.2025	मे0 जय सर्विस स्टेशन अयोध्या	9,905.00
21	627, 03.08.2025 628, 02.08.2025	मे0 न्यू साकेत फ्लावर डेकोरेशन अयोध्या	10,400.00
22	702, 01.08.2025	मे0 पूजा सारी सेण्टर, अयोध्या	1,378.00
योग (रूपये आठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ सैंतालिस मात्र)			**8,48,847.00**

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार संस्कृति विभाग, उ0प्र0, जिला प्रशासन, अयोध्या एवं अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या के संयुक्त तत्वावधान में अयोध्या में दिनांक 02-03 अगस्त, 2025 को आयोजित 02 दिवसीय 'सावन झूला' कार्यक्रम में कलाकारों के मानदेय एवं अन्य व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय **रू0 8,48,847/- (रूपये आठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ सैंतालिस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।